न्यायालय उपजिलाधिकारी/सहा0कलक्टर (प्र0श्रे0), सदर, लखनऊ।

1820
19/12/14

वाद सं0 :– 252/14–15
राजेश सिंह आदि बनाम उ0प्र0 सरकार।
धारा :– 143 जेड0ए0एल0आर0एक्ट।
ग्राम :– गनेशपुर रहमानपुर, परगना,
तहसील व जिला लखनऊ

निर्णय

प्रस्तुत वाद कार्यवाही राजेश सिंह पुत्र रामदयाल सिंह, श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी राजेश सिंह व पार्थ सिंह नाबा0 पुत्र राजेश सिंह संरक्षिका माता श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी राजेश सिंह निवासीगण 5/592, विकास खण्ड, गोमती नगर, जिला लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–143 जेड0ए0एल0आर0एक्ट के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में यह अभिलिखित है कि प्रार्थीगण भूमि खसरा संख्या 248 स रकबा 0.379 हे0, 189 मि0 रकबा 0.379 हे0, 189 मि0 रकबा 0.379 हे0, 189 मि0 रकबा 0.379 हे0, 189 मि0 रकबा 0.379 हे0, 189 मि0 रकबा 0.379 हे0 में से रकबा 0.252 हे0 कुल 6 किता कुल रकबा 2.021 हे0 स्थित ग्राम गनेशपुर रहमानपुर, परगना, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल, काबिज व संक्रमणीय भूमिधर है। उक्त भूमि पर सड़क, नाली, बिजली, आफिस, बाउन्ड्री आदि का निर्माण कार्य विकसित किया जा रहा है। अन्त में प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की गई।

उक्त प्रार्थना–पत्र पर तहसीलदार सदर, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार, सदर लखनऊ ने अपनी आख्या दिनांक 22.10.2014 के अनुसार प्रश्नगत गाटा संख्या 189 मि0 रकबा 0.379 हे0, 189 मि0 रकबा 0.379 हे0, 189 मि0 रकबा 0.379 हे0 में से रकबा 0.252 हे0, 248 स रकबा 0.379 हे0, 189 मि0 रकबा 0.379 हे0, 189 मि0 रकबा 0.379 हे0 में से रकबा 0.253 हे0 कुल रकबा 2.021 हे0 आवेदकगण के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बागवानी का कार्य नही हो रहा है। वर्तमान में स्कूल का भवन आंशिक निर्मित व शेष निर्माण कार्य चल रहा है। नियम 135 (6) के अनुसार नियमानुसार शुल्क जमा कराकर निर्मित क्षेत्रफल की पैमाइश की गयी है। गैर कृषिक प्रयोजन घोषित करने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर लखनऊ विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 सरकार को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु नोटिस/सम्मन जारी किये गये, जो दिनांक 03.11.2014 को वाद तामील पत्रावली पर संलग्न है। सुनवाई तिथि 10.11.2014 को पत्रावली पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही हुयी। तदोपरान्त दिनांक 10.11.2014 को पत्रावली आदेश हेतु आरक्षित की गयी।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों एवं तहसीलदार, सदर की आख्या का विधिवत अवलोकन व परिशीलन किया गया तथा मौके का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत गाटा संख्याओं पर कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बागवानी का कार्य नही हो रहा है। वर्तमान में स्कूल का भवन आंशिक निर्मित व शेष निर्माण कार्य चल रहा है। तहसील आख्या के साथ संलग्न राजस्व निरीक्षक द्वारा सत्यापित वादीय भूमि का छाया चित्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र पत्रावली पर संलग्न किया गया है कि वादीय भूमि के बाबत कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नही है तथा वादीय भूमि के सहखातेदारो द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि यदि प्रार्थीगण के हिस्से–वाली वादीय भूमि को धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित कर दिया जाता है तो शपथीगण को कोई आपत्ति न होगी। ऐसी दशा में उक्त भूमि का उपयोग गैर कृषिक होने के कारण अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नही है।

आदेश

अतः प्रश्नगत भूमि के परिपेक्ष्य में प्राप्त तहसीलदार, सदर, लखनऊ की आख्या दिनांक 22.10.2014 की पुष्टि की जाती है। तद्नुसार ग्राम गनेशपुर रहमानपुर, परगना, तहसील व जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1416 से 1421 फसली के खाता संख्या 57 पर अंकित भूमि खसरा 189 मि0 रकबा 0.379 हे0, 189 मि0 रकबा 0.379 हे0, 189 मि0 रकबा 0.379 हे0 में से रकबा 0.252 हे0, 248 स रकबा 0.379 हे0, 189 मि0 रकबा 0.379 हे0, 189 मि0 रकबा 0.379 हे0 में से रकबा 0.253 हे0 कुल रकबा 2.021 हे0 भूमि को कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है। यह घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नही होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना–2021 के अनुसार ही अनुमन्य होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि मत्स्य, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा 144 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत तहसीलदार तत्काल अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। अभिलेखो में अमल–दरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार, सदर, लखनऊ को व एक प्रति उप निबन्धक, लखनऊ को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

नकल प्रार्थना पत्र देने की तिथि: 19/12/14
नकल तैयार करने की तिथि: 19/12/14
नकल जारी करने की तिथि: 19/12/14
प्रतिलिपि कर्ता: 13.00

प्रमाणित प्रतिलिपि

(शत्रोहन वैश्य)
उपजिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर (प्र0श्रे0)

1820 / 19/12/14

4 / 1300

(i) ~~प्रयोगोपयन्त्र फोसियो निरस्त किया गया।~~

(ii) ~~प्रमाणित प्रति आदेश दिनांक-05/12/14 संलग्न~~

उप जिलाधिकारी